

कृषकों के लिए खरीफ मौसम में NHM, RKVY योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सुविधा

| कार्यक्रम | योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें |
|---|---|
| नवीन उद्यान रोपण | |
| <p>1- आम 10x10 मी कुल अनुमन्य लागत रु. 25,500 प्रति हेक्टेयर (पौधों की संख्या 100, रु. 4500/- अन्य निवेश रु. 21,000/- कुल अनुदान उक्त लागत का 50 प्रतिशत रु. 12,750 - तीन वर्षों में (60:20:20) 7,650/-, 2,550/- एवं 2,550/-</p> | <p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट http://horticulture.up.nic.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण में click करें, अपना पंजीकरण करें एवं फार्म अपने जनपद के उद्यान कार्यालय में जमा करा दें!</p> |
| <p>2- अमरुद 6x6 मी कुल अनुमन्य लागत रु. 38,340/- प्रति हेक्टेयर (पौधों की संख्या 278, रु. 8,340/- अन्य निवेश रु. 30,000/- कुल अनुदान उक्त लागत का 50 प्रतिशत रु. 19,170 - तीन वर्षों में (60:20:20) 11,502/-, 3,834/- एवं 3,834/-</p> | <p>अन्य जानकारी जनपद के उद्यान कार्यालय से आपको सुलभ करा दी जायेगी!</p> |
| <p>3- आंवला 6x6 मी कुल अनुमन्य लागत रु. 40,008/- प्रति हेक्टेयर (पौधों की संख्या 278, रु. 10,008/- अन्य निवेश रु. 30,000/- कुल अनुदान उक्त लागत का 50 प्रतिशत रु. 20,004 - तीन वर्षों में (60:20:20) 12,002/-, 4,001/- एवं 4,001/-</p> | <p>योजना का लाभ प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर प्रदान किया जायेगा!</p> |
| <p>4- लीची 10x10 मी कुल अनुमन्य लागत रु. 25,500 प्रति हेक्टेयर (पौधों की संख्या 100, रु. 4500/- अन्य निवेश रु. 21,000/- कुल अनुदान उक्त लागत का 50 प्रतिशत रु. 12,750 - तीन वर्षों में (60:20:20) 7,650/-, 2,550/- एवं 2,550/-</p> | <p>शासन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी अतः पंजीकरण में अपने बैंक खाते का विवरण ठीक से अंकित करें!</p> |
| <p>5- टिश्यू कल्चर केला 1.8 x1.8 मी कुल अनुमन्य लागत रु. 1,02,462/- प्रति हेक्टेयर (पौधों की संख्या 3086, रु. 52,462/- अन्य निवेश रु. 50,000/- कुल अनुदान उक्त लागत का 40 प्रतिशत रु. 40,985/- - तीन वर्षों में (75:25) 30,738/- एवं 10,247/-</p> | |
| मशाला की खेती | |
| <p>हल्दी</p> | |
| <p>मिर्च</p> | |
| <p>कुल अनुमन्य लागत रु. 30,000 प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान उक्त लागत का 40 प्रतिशत रु. 12,000- प्रति हेक्टेयर</p> | |